

कामाजम, अधोक्षक उत्पाद, मधेपुरा

आदेश

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के संयुक्त आदेशा आंशक - 795/जी०, मधेपुरा दिनांक 23-03-2015 तथा राजस्व पर्षद, बिहार, पाना को अधिसूचना सं०-4/टैक/30013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आलोक में विधि सम्पत्तिका वना में रखने हेतु सामन्यता के अन्तर्गत दिनांक 28-03-2015 के जिले में अधोक्षक समी-पट्टा के द्वारा दुकानें बन्द रहेंगी। आदेशा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।



अधोक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

आप संख्या 980/50, दिनांक 25/3/2015

प्रतिक्षेप निरोक्षक उत्पाद, मधेपुरा/समी अकर निरोक्षक उत्पाद/प्रकाशक देवी शराव/विदेवी शराव डिपो, कोशक कोशक, मधेपुरा के सूचनाएं एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित। समी अंचल अकर निरोक्षक उत्पाद के निर्दोषता प्रमाणित कि आपने अंचल के अन्तर्गत समी शराव दुकानों के दिनांक 27/03/2015 के विज्ञापन के पश्चात् स्वन्ध का सत्मापन कर स्वसमय शराव दुकानों के बन्द करना सुनिश्चित करेंगे तथा स्वन्ध सत्मापन प्रतिवेदन एवं प्रतीदन का दायामारी प्रतिवेदन अधोक्षक अधिकारी के समक्ष समर्पित करेंगे जिससे कि आपकी शराव में मेजी जा सके। समी अकर निरोक्षक उत्पाद सखन अधोक्षक कार्य करेंगे जिससे किसी भी प्रकार से शराव को विक्री नहीं हो सके।

25/3/15

अधोक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।
25/3/15

आप संख्या 400/50, दिनांक 25/3/2015

प्रमोक्षीप जिह्वा दण्डाधिकारी, मधेपुरा कै. आदेवा
के अनुपस्थान में सादर सूचनाएं प्रेषित।

प्रमोक्षीप जिह्वा सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा
के जिह्वा के केंद्र पर अफिलेटु करने हेतु प्रेषित।

दि. 25/3/15
कै. आदेवा
मधेपुरा